न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

दुर्गा बनाम पेमा व अन्य

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या –83/2025 (पुष्कर)

रिमाण्ड 3/2/25

	श्री लखवंत सिंह एड.	
31.01.2025	दुर्गा बनाम पेमा फौत जरिये वारिसान 1/1 नानी वगैरह यह अपील श्री लखवंतसिंह एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 5/2025 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 03.02.2025 को पेश हो।	
03.02.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीगण के पिता श्री रामा पुत्र श्री माला से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 03 को विरासत में प्राप्त हुई लेकिन विद्वान राजस्व ऐजेन्सी द्वारा प्रार्थीया संख्या 02 का नाम विरासत में दर्ज नहीं करने के कारण उदघोषणा खातेदारी व इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया गया जिसके संलग्न प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में अवैधानिक रूप से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई जबकि इन्ही पक्षकारों के मध्य शेष आराजीयात बाबत वाद पत्र संख्या 10/2024 के संलग्न प्रार्थना पत्र संख्या 65/2024 बउनवानी केसी बनाम पेमा वगैरह प्रस्तुत किया गया जिसमें अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.12.2024 को जारी फरमाई गयी लेकिन उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 5/2025 में विरासत में प्राप्त भूमि बाबत भी प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनना अंकित करते हुए अवैधानिक रूप से आदेश पारित कर दिया गया जिसकी आड में अप्रार्थीगण प्रार्थीया संख्या 02 के हिस्से की आराजीयात को अन्यत्र रहन, बेचान, मुंतकिल करने, बेदखल करने एवं रिकार्ड में परिवर्तन करवाने पर आमादा हो रहे है जिसमें यदि वे सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपने पिता की विरासत में प्राप्त भूमि से महरूम हो जायेंगे जिससे अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ताफैसला अपील अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजीयात रहन, बेचान, मुंतकिल करने, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, अन्यत्र रहन, बेचान मुंतकिल करने, भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने एवं रिकार्ड में परिवर्तन करवाने से पाबंद किया जावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 2020 डी0एन0जे0 (सुप्रीम कोर्ट) एल0बी0 पेज संख्या 817, आर0आर0डी 1996 पेज संख्या 79 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा अपील के साथ	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

RAA

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

दुर्गा बनाम पेमा व अन्य

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या –83/2025 (पुष्कर)

संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया, जिसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 21.01.2025 को दर्ज किया गया एवं एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंकन किया कि **प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का नहीं बनता है।** तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये गये। अपील के साथ संलग्न दस्तावेज प्रकरण संख्या 65/2024 आदेश दिनांक 30.12.2024 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिसमें भी विवाद इन्ही पक्षकारों के बीच विद्यमान है तथा उक्त आदेश दिनांक 30.12.2024 में स्थगन आदेश दिये हुए है। हमारा यह मत है कि पक्षकारान के बीच कृषि संबंधित सद्भाविक वाद विद्यमान है तथा वाद के विचाराधीन रहते हुए माननीय उच्चतर न्यायालयों के अनेको सिद्धान्त में यह प्रतिपादित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात को सुरक्षित एवं संरक्षित रखा जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है जिसका अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय को ही किया जाना है। हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 60 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना–पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण गुणावगुण पर 60 दिवस में आवश्यक रूप से करें तब तक वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट के हक हिस्से तक राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण किये जाने के उपरांत न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी.ए संख्या 83 /2025 जिला अजमेर

2025/83

1. दुर्गा पुत्र श्री रामा जाति रावत, निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. श्रीमती केशी पुत्री श्री रामा पत्नि श्री गुमान सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर हाल निवासी 158 पाबूजी की ढाणी, सूरजकुण्ड, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।

-- अपीलांट

बनाम्

1. पेमा पुत्र रामा (रामा पुत्र माला) (मृतक) जरिये वारिसान :-

1/1 नानी पत्नि पेमा

1/2 दयाल पुत्र पेमा (मृतक) जरिये वारिसान :-

1/2/1 बीरा पुत्र दयाल, नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती किशनी (श्रीमती किशनी नागफणी जिला अजमेर नाते गयी)

1/2/2 शिवा पुत्री पेमा पत्नि साबा रावत निवासी गुढा (भूणाबाय) जिला अजमेर।

2. बालू पुत्र श्री रामा (रामा पुत्र माला) (मृतक) जरिये वारिसान :-

2/1 भोली पत्नि बालू

2/2 श्रवण पुत्र बालू

2/3 सीताराम पुत्र बालू

2/4 मोहनी पुत्री बालू

2/5 कनका पुत्री बालू

2/6 सम्पति पुत्री बालू

2/7 कालू पुत्र बालू (मृतक) जरिये वारिसान :-

2/7/1 कमला पत्नि कालू

3. हरि पुत्र रामा रावत

समस्त जाति रावत निवासी गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

Scanned with CamScanner

4. अजय रावत पुत्र कुन्दनसिंह
5. कमला देवी पुत्री जीया पत्नि हीरासिंह रावत निवासी मोतीसर
6. किशना पुत्र छोगा
7. खेमचन्द पुत्र जीया
8. गेकी पुत्री बुधा पत्नि शोभा रावत निवासी बडलिया तहसील अजमेर
9. गणेश पुत्र उगमा
10. गमीरा पुत्र मोती (मृतक) जरिये वारिसान :-

10/1 प्रताप पुत्र गमीरा

10/2 दरियाव उर्फ कप्तान पुत्र गमीरा

10/3 सुरेन्द्र पुत्र गमीरा

समस्त जाति रावत निवासी गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

10/4 बरदी पुत्री गमीरा पत्नि नानू रावत निवासी गोवलिया

10/5 शांति पुत्री गमीरा पत्नि देवी (मृतक) जरिये वारिसान :-

10/5/1 देवीसिंह पति श्रीमती शांति

10/5/2 साबा पुत्री देवीसिंह पत्नि पृथ्वीसिंह रावत निवासी रावतखेडा तहसील रियांबडी जिला नागौर।

10/5/3 अनिता पुत्री देवीसिंह पत्नि अरविन्द रावत निवासी गंवारडी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

10/6 घेवरी पुत्री गमीरा पत्नि श्रवण रावत निवासी बोराज तहसील व जिला अजमेर।

11. चूका पुत्री बुधा पत्नि मदन रावत निवासी मशीनीया तहसील अजमेर
12. छगनसिंह पुत्र लूम्बा
13. जगदीश सिंह पुत्र जीया
14. दल्ला पुत्र खीया (मृतक) जरिये वारिसान :-

14/1 मदन पुत्र दल्ला

14/2 मोहन पुत्र दल्ला

14/3 सीता पुत्री दल्ला पत्नि सोहन रावत निवासी बूबानी तहसील व जिला अजमेर।

Scanned with CamScanner

14/4 गीता पुत्री दल्ला पत्नि शैतान रावत निवासी मुहामी तहसील व जिला अजमेर।

15. दारा सिंह रावत पुत्र कुन्दना

16. धर्मा पुत्र मोती (मृतक) जरिये वारिसान :-

16/1 रणजीत पुत्र धर्मा

16/2 नंगी पुत्री धर्मा पत्नि मिश्रा रावत निवासी गोवलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

16/3 किशनसिंह पुत्र धर्मा (मृतक) जरिये वारिसान :-

16/3/1 विजिया पत्नि किशनसिंह

16/3/2 अखिलेश पुत्र किशनसिंह

16/3/3 अभिषेक पुत्र किशनसिंह

16/3/4 रामेश्वर पुत्र किशनसिंह

16/3/5 रंजना पुत्री किशनसिंह

17. नानी पत्नि पाँचू (मृतक) जरिये वारिसान :-

17/1 बिरदा सिंह पुत्र पांचू

17/2 मोहनी पुत्री पांचू पत्नि श्रवण रावत

17/3 लाली पुत्री पांचू पत्नि लक्ष्मण रावत

सभी निवासी गोवलिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

18. बन्ना पुत्र खीया (ना.औ.फौत)

19. मगनसिंह पुत्र लूम्बा

20. माना पुत्र छोगा

21. रूकमा पत्नि गोपी (मृतक) जरिये वारिसान :-

21/1 साबा पुत्र गोपी

21/2 सीता पुत्री गोपी पत्नि कुन्दन रावत निवासी मुहामी तहसील व जिला अजमेर।

22. रतना पुत्र छोगा

23. लाडी पत्नि हेमता

A

Scanned with CamScanner

24. विरेन्द्र सिंह रावत पुत्र गुलाब सिंह रावत निवासी ग्राम मदारपुरा जिला अजमेर।

25. शक्तिसिहं पुत्र भोमा

26. शंकर सिंह पुत्र कुन्दनसिंह

27. श्यामसिंह पुत्र गोपी

28. श्रवण सिंह पुत्र जीया

29. श्रवणसिहं पुत्र हेमता

30. शिवराजसिंह पुत्र हेमता

31. सुखदेव पुत्र अमरा

32. सुरेन्द्रसिहं पुत्र बाबूलाल

33. सोहनी पुत्री बुधा (मृतक) जरिये वारिसान :–

33/1 पन्ना पुत्र शंकरसिंह (सोहनी पत्नि शंकरसिंह)

33/2 जंवरी उर्फ झमूरा पुत्र शंकरसिंह रावत

33/3 सुखदेव पुत्र शंकरसिंह रावत

34. हुकमचन्द पुत्र हुकमसिंह पुत्र कुन्दनसिंह

35. हेमा पुत्र जीया रावत

36. शिल्पा भार्गव पत्नि श्री कपिल ब्राहमण

सभी निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

37. रविन्द्र पुत्र गजेन्द्रनाथ जाति कायस्थ निवासी मधुवन कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर।

38. बैंक ऑफ बडौदा शाखा गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर जरिये प्रबन्धक।

39. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर जरिये प्रबन्धक।

40. श्रीमान उप पंजीयक महोदय पुष्कर जिला अजमेर।

41. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, पुष्कर जिला बाडमेर।

–– रेस्पोडेन्टस्

Scanned with CamScanner

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पुष्कर दिनांक 21.1.2025 अन्तर्गत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र संख्या 5/2025 बउनवानी दुर्गा वगैरह बनाम पेमा वगैरह

———

श्रीमान्जी,

अपीलांट्स अपील के सक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवदेन करते हैं :–

यह कि अपीलांट्स द्वारा विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, पुष्कर के समक्ष वाद संख्या 6/2025 वास्ते उदघोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अपीलांटस् के पिता रामा पुत्र श्री माला के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है :–

रामा पुत्र श्री माला

|——— |——— |——— |——— |——— |

हीरी पत्नि (फौत) | पेमा (पुत्र) | हरि(पुत्र) | बालू(पुत्र) | दुर्गा(पुत्र) | केशी(पुत्री)

पेमा (पुत्र)
|–नानी
|–पप्पूसिंह (ना.औ.फौत)
|–शिवा
|–दयाल (फौत)
    |–बीरा

बालू(पुत्र)
|–भोली
|–श्रवण
|–सीताराम
|–मोहनी
|–कनका
|–सम्पति
|–कालू (फौत)
    |–कमला

अपीलांट्स के पिता रामा पुत्र श्री माला जाति रावत निवासी गनाहेडा की सह खातेदारी/सह काश्तकारी की आराजीयात ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित है जिनका वर्णन जमाबन्दी सम्वत 2073 लगायत 2076 के अनुसार निम्न प्रकार है:–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
113	923/2210	0.04	चाही 1

Scanned with CamScanner